



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

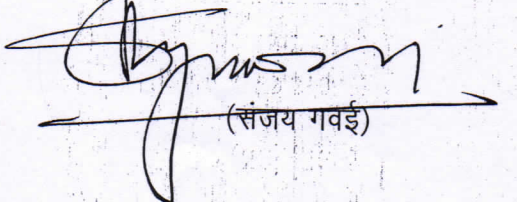
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2009/वि.प. (22)/2015/255

दिनांक: 31.03.2015

परिपत्र

14 मार्च, 2015 को आयोजित विद्या-परिषद की 22^{वीं} बैठक की मद संख्या 13 के अंतर्गत लिए गए निर्णय तथा संशोधित पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 के आलोक में सभी विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड में पूर्व छात्र को नामित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. परीक्षा प्रभारी
6. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल